"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल 2017—— चैत्र 22 , शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-62/गृह-दो/2008. —— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 41 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार (वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(क) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन तथा भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा."

2. नियम 4 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (एक) में, अंक "15 (पन्द्रह)" के स्थान पर, अंक "30" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "5. **अवकाश यात्रा रियायत.-** अध्यक्ष, उन्हीं दरों, वेतनमानों और शर्तों पर, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं, अवकाश यात्रा रियायत का हकदार होगा तथा सदस्य भी, उन्हीं दरों, वेतनमानों और शर्तों पर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को लागू हैं, अवकाश यात्रा रियायत का हकदार होगा."

4. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"7. यात्रा भत्ते.- यात्रा भत्ते, वैयक्तिक वस्तुओं के परिवहन और ऐसे ही अन्य बातों के लिये भत्ते तथा दैनिक भत्ते, उन्हीं दरों पर दिये जायेंगे, जैसा कि,-

(एक) अध्यक्ष हेतु, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को; और

(दो) सदस्य हेतु, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को;
अनुज्ञेय है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. डी. गौतम, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 3-62/गृह-दो/2008. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. डी. गौतम, सचिव.

Naya Raipur, the 12th April, 2017

NOTIFICATION

No. F 3-62/Two-Home/2008. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 41 read with Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Police Accountability Authority (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, for clause (a), the following shall be substituted, namely :-

"(a) The Chairman shall be entitled to receive salary and allowances and other benefits equivalent to the Judge of the High Court of Chhattisgarh."

2. In rule 4, in sub-rule (1), in clause (i), for the figure "15", the figure "30" shall be substituted.

3. For rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"5. Leave travel concession.- The Chairman shall be entitled to leave travel concession at the same rates, pay scales and conditions as are applicable to a Judge of the High Court of Chhattisgarh and the Members shall also be entitled to leave travel concession at the same rates, pay scales and conditions as are applicable to the Secretary to the Government of Chhattisgarh, belonging to the Indian Administrative Services."

4. For rule 7, the following shall be substituted, namely :-

"7. **Travel allowances.-** Travel allowances, allowances for transportation of personal belongings and other similar matter and daily allowances shall be given at the same rates as are admissible,-

(i) to a Judge of the High Court of Chhattisgarh, for the Chairman; and

(ii) to a Secretary to the Government of Chhattisgarh, for Members."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. D. Gautam, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.